अध्याय – 7

बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन

अध्याय –7
बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन

वित्तीय नियमों के अनुसार बिड मूल्यांकन का कार्य विशुद्ध रूप में निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिये। अग्रेतर, लोकहित की प्राप्तियां प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी होनी चाहिये जिसमें यह सुनिश्चित हो कि अनुबंध किये जाने हेतु प्रतिस्पर्धा एवं दक्ष निविदादाताओं का चयन किया गया है ।

चयनित जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सम्पादित किये गए 802 अनुबंध[1] लागत ₹ 4,857.57 करोड़ की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक जिले में बहुत अधिक संख्या में ठेकेदारों के पंजीकृत होने के बाद भी, अधिसंख्य (73 प्रतिशत) निविदाएँ मात्र एक या दो निविदादाताओं के आने के कारण प्रतिस्पर्धी नहीं थी एवं निविदादाताओं के तकनीकी मूल्यांकन में निर्धारित प्रक्रिया के सापेक्ष व्यापक विचलन किया गया था। अनेक प्रकरणों में, ठेकेदारों द्वारा सांठ–गाँठ/गठजोड़ के मामले भी संज्ञान में आये थे।

विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये है:

7.1 प्रतिस्पर्धा का अभाव

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष कम संख्या में बिड प्राप्त हुई थीं एवं मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सीमित बिड के आधार पर अनुबंध गठित किये गए थे। चयनित जनपदों में वर्ष 2011–16 की अवधि में मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता स्तर के नमूना जॉच किए गए कार्यों के विरुद्ध प्राप्त निविदाओं का विवरण सारणी 7.1 में प्रदर्शित है:

सारणी 7.1: वर्ष 2011–16 की अवधि में जनपदवार प्राप्त बिडों की संख्या

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	एकल बिड		दो बिड		तीन एवं अधिक बिड	
		अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत
1	आगरा	1	0.37	83	277.02	20	153.12
2	बस्ती	23	21.15	19	237.69	16	38.77
3	बदायूँ	5	0.41	21	183.39	9	181.48
4	गाजीपुर	4	26.40	6	36.56	7	20.69
5	गोण्डा	4	6.74	11	160.96	3	2.08
6	गोरखपुर	13	47.94	32	146.83	17	74.92
7	हापुड़	4	0.04	38	104.57	7	47.98
8	हरदोई	1	4.35	9	72.84	4	1.07
9	झांसी	2	0.36	41	315.33	20	37.80
10	लखनऊ	1	0.28	26	255.19	29	299.96

[1] अधीक्षण अभियंता: 331 अनुबन्ध लागत ₹ 4,777.50 करोड़ एवं अधिशासी अभियंता: 471 अनुबंध लागत ₹ 80.07 करोड़।

11	मैनपुरी	16	55.97	49	333.51	16	201.49
12	मिर्जापुर	16	93.34	12	139.57	5	85.46
13	मुरादाबाद	6	1.18	15	153.99	15	145.99
14	सहारनपुर	7	2.17	24	90.09	21	173.25
15	सम्भल	1	0.01	44	180.49	2	0.85
16	सिद्वार्थ नगर	5	31.07	9	93.29	4	4.05
17	उन्नांव	1	11.86	49	215.83	9	87.82
	योग	**110**	**303.64**	**488**	**2997.15**	**204**	**1556.78**

(**स्रोतः** वृत्तों/खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

वर्ष 2011–16 में प्राप्त बिडों के आँकड़ों के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुए:

- वर्ष 2011–16 की अवधि में गठित किये गए 802 अनुबंधों में से 110 अनुबंध जिनकी लागत ₹ 303.64 करोड़ (14 प्रतिशत) थी, एक बिड के आधार पर किये गए। इन सभी प्रकरणों में दोबारा निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, इन वृत्तों/खण्डों द्वारा प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त किये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

- वर्ष 2011–16 की अवधि में चयनित जनपदों में 488 अनुबंध लागत ₹ 2,997.15 करोड़ (नमूना जाँच किए गए चयनित अनुबंधों की कुल लागत का 61 प्रतिशत) प्राप्त दो बिडों के आधार पर गठित किये गए। इन सभी प्रकरणों में किसी भी चयनित जनपद में दोबारा निविदा आमंत्रित नहीं की गयी।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल जांचे गए 802 अनुबंधों में से मात्र 204 अनुबंध लागत ₹ 1,556.78 करोड़ (25 प्रतिशत) ही तीन या आधिक प्राप्त बिडों के आधार पर गठित किये गए। अतः अपेक्षाकृत कम अनुबंधों में ही प्रतिस्पर्धी बिड प्राप्त हुई थीं ***(परिशिष्ट 7.1)***।

- वर्ष 2011–16 की अवधि में, खण्डों/वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि विविध कार्यों के सापेक्ष वर्ष 2011–16 की अवधि में केवल दो बिडों की प्राप्ति बढ़ते हुए क्रम में थी, जैसाकि निम्नवत चार्ट 7.1 में प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट 7.1 वर्ष 2011–16 में प्राप्त एकल एवं दो बिड का प्रतिशत

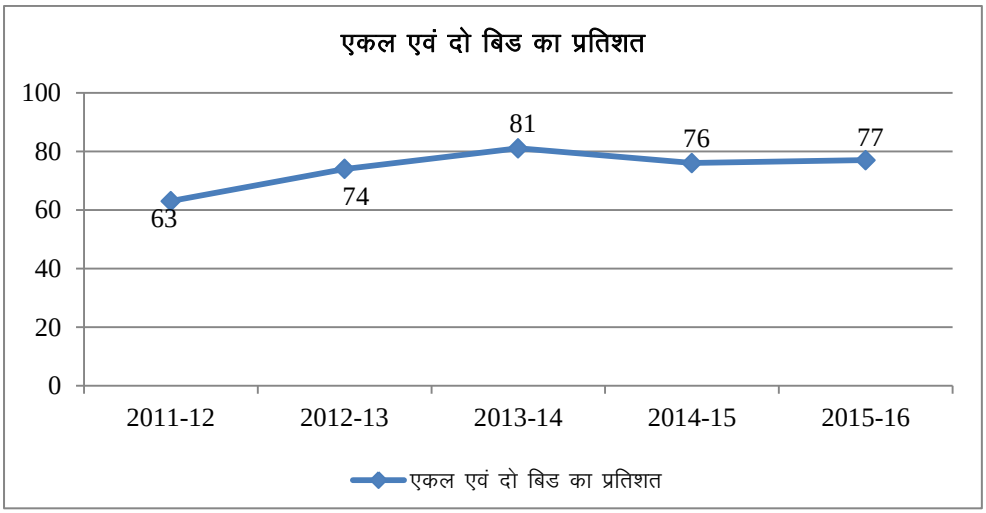

सीमित बिडों के प्राप्त किये जाने के साथ–साथ, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जॉच किए गए 331 अनुबंधों में से 136 अनुबंध लागत ₹ 2,711.64 करोड़ की दरें आगणित दरों से 45.50 प्रतिशत तक अधिक थीं। परन्तु, यह तथ्य संज्ञान में आया कि अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किसी भी प्रकरण में दोबारा निविदा आमंत्रित नहीं की गयी तथा उच्च दरों पर अनुबंध गठित किये गए। यह तथ्य इंगित करता है कि वर्ष 2011–16 की अवधि में, प्रतिस्पर्धा को कम करने के आशय से व्यापक पैमाने पर अनुबंधों में सांठ–गाँठ होने की सम्भावना में बढ़ोत्तरी हुई है। लेखापरीक्षा में, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रण (प्रस्तर 6.2.1), निविदादाताओं को बिड प्रेषित किये जाने हेतु बहुत कम समय दिया जाना (प्रस्तर 6.2.5), सीमित बिडों की प्राप्ति एवं आगणित लागत से अपेक्षाकृत बहुत अधिक दरों पर अनुबंध किये जाने की अनियमितताएं भी प्रकाश में आयीं। अतः अधिकारीगण, शासकीय हित को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहे।

7.2 निविदादाताओं से निगोशिएशन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सामान्यतः निविदादाताओं से निगोशिएशन न किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए थे (मार्च 2007)। विशेष परिस्थितियों में, जहाँ यह आवश्यक हो, निगोशिएशन न्यूनतम निविदादाता से ही किया जाना चाहिये। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2001) सामान्यतः निविदादाताओं से निगोशिएशन न किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। यदि अनुबंधों के अन्तिमीकरण हेतु निगोशिएशन आवश्यक हो तो यह सभी पात्र निविदादाताओं के साथ किया जाना चाहिये। अग्रेतर, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के आदेश (नवंबर 1965) के अनुसार कार्य की लागत नियत किये जाने के उपरांत ही निगोशिएशन किया जाना चाहिये। परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, किसी भी कार्य की लागत नेगोशिएशन के पूर्व निश्चित नहीं की गयी थी। अतः, वर्ष 2011–16 की अवधि में, मुख्य अभियन्ता के आदेश का अनुपालन अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा नहीं किया गया था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित जनपदों में गठित किये गए 331 अनुबंधों (अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा) में से 234 प्रकरणों लागत ₹ 3,886.87 करोड़ (71 प्रतिशत) में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के विपरीत निगोशिएशन किये गए थे ***(परिशिष्ट 7.2)***।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2017) कि ₹ 100 करोड़ से अधिक के अनुबंधों के लिए ''स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट'' को अपनाया गया है। ₹ 100 करोड़ से कम के अनुबंधों के लिए स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट को अपनाया जाना विचाराधीन है। स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट में समस्त वर्णित बिन्दु उचित रुप से समाहित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ''स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट'' में एकल बिड के निस्तारण, अल्पकालीन निविदा सूचनाओं, समाचार–पत्रों में निविदा प्रकाशन, इत्यादि के प्रकरण के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं थे।

अनुशंसाएँ:

- ***समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन, अल्पकालीन निविदाओं के आमंत्रण, एकमात्र प्राप्त निविदा के निस्तारण आदि विषयक त्रुटियों/कमियों के निराकरण के माध्यम से शासन को निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिये; तथा***
- ***शासन को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देश के अनुरुप निगोशिएशन किये जाने हेतु सुस्पष्ट नीति बनानी चाहिये।***

7.3 त्रुटिपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन

7.3.1 ₹ 40 लाख से अधिक लागत की बिडों का तकनीकी मूल्यांकन

₹ 40 लाख की लागत से अधिक के कार्यों की निविदाओं में तकनीकी मूल्यांकन महत्वपूर्ण था। माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में तकनीकी रुप से योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जानी थी।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चयनित जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा समुचित तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन में दृष्टिगत प्रमुख अनियमितताएं निम्नवत हैं:

7.3.1.1 110 प्रकरणों में (लागत ₹ 1,771.04 करोड़) अंतिम पांच वर्षों की बैलेंस शीट नहीं दी गयी जबकि 37 प्रकरणों में (लागत ₹ 355.77 करोड़) मात्र एक से चार वर्ष की बैलेंस शीट प्रस्तुत की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 प्रकरणों (लागत ₹ 87.49 करोड़) में निविदादाताओं ने अन्य ठेकेदारों की बैलेंस शीट संलग्न की थी। अतः 331 में से 158 निविदादाताओं (48 प्रतिशत) को तकनीकी रुप से योग्य माना गया, यद्यपि उन्होंने अपने फर्म की वित्तीय क्षमता को स्थापित करने हेतु आवश्यक बैलेंस शीट या तो नहीं दी थी या त्रुटिपूर्ण रूप में उपलब्ध करायी थी।

7.3.1.2 टर्न ओवर प्रमाण–पत्रः इसी प्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट से गत पांच वर्षों में प्राप्त किये गए टर्न ओवर प्रमाण–पत्र, 81 प्रकरणों (24 प्रतिशत) (लागत ₹ 1,368.88 करोड़) में उपलब्ध नहीं कराये गए एवं 27 प्रकरणों (लागत ₹ 139.27 करोड़) में मात्र एक से चार वर्षो तक के टर्न ओवर प्रमाण–पत्र दिए गए। नौ प्रकरणों (लागत ₹ 80.10 करोड़) में, पांच वर्षो के टर्न ओवर प्रमाण–पत्र दिए गए परन्तु, या तो वे अन्य फर्मो के थे या कार्य की लागत के सापेक्ष अपर्याप्त थे। ₹ 256.18 करोड़ की लागत के सात प्रकरणों में फर्म के सभी साझेदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

7.3.1.3 24 प्रकरणों (लागत ₹ 181.24 करोड़) में माडल बिडिंग डाक्यूमेंट[2] के आवश्कतानुसार अपर्याप्त अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये या निविदादाता से भिन्न फर्म के थे एवं 43 प्रकरणों (लागत ₹ 620.43 करोड़) में अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न ही नहीं किये गये थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण अनुभव प्रमाण–पत्र भी स्वीकार किये गये एवं निविदादाताओं को अनियमित रुप से सफल/पात्र घोषित किया गया।

7.3.1.4 हैसियत प्रमाण–पत्र की प्रस्तुतिः माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के अनुसार प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्रों के साथ अन्य प्रपत्रों सहित सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत किया गया मूल हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रमुख अभियन्ता ने निर्देश दिया (दिसम्बर 2002) था कि हैसियत प्रमाण–पत्र में इस आशय की टिप्पणी अंकित होनी चाहिये कि हैसियत में प्रदर्शित सम्पत्ति अविवादित एवं बन्धक मुक्त होनी चाहिये। शासन ने भी, एक हैसियत प्रमाण–पत्र को एक से अधिक कार्य हेतु उपयोग में न लाये जाने हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2008) था। चयनित जनपदों में अनुबन्धों एवं निविदादाताओं द्वारा दिये गये हैसियत प्रमाण–पत्रों की जाँच में निम्नवत् अनियमिततायें उद्घटित हुयीं:

[2] जिस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी हो उसकी आगणित लागत के एक तिहाई मूल्य के बराबर का कम से कम एक समान कार्य मुख्य ठेकेदार के रूप में संतोषजनक ढंग से पूर्ण किया हो अथवा ऐसे उच्च मूल्य का जैसा कि आईटीबी के परिशिष्टि में निर्दिष्ट किया गया है।

- नमूना जाँच में देखे गये 166 अनुबन्धों में से 142 अनुबन्धों में जिनकी लागत ₹ 2,801.90 करोड़ थी, फर्मो द्वारा फर्म के नाम से हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर साझेदारों के नाम से हैसियत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये थे। मात्र छः[3] निविदादाताओं ने ही फर्म के नाम से हैसियत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 532.12 करोड़ की लागत के 86 अनुबन्धों में, 37 निविदादाताओं ने एक समान हैसियत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये एवं एक ही हैसियत प्रमाण–पत्र को दो से सात कार्यो हेतु प्रयोग किया गया। चार प्रकरणों में निविदादाताओं द्वारा हैसियत प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। यहॉ तक कि एक प्रकरण में प्रस्तुत किया गया हैसियत प्रमाण–पत्र लेखापरीक्षा में प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया गया जैसा कि नीचे दृष्टान्त 7.1 में चर्चा की गयी है।

- विश्लेषण में पाया गया कि निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये हैसियत प्रमाणपत्रों में मात्र अचल सम्पत्ति (मुख्य रूप से भूमि एवं भवन) का मूल्य ही अंकित किया गया था एवं उक्त सम्पत्ति सभी उन्मोचनों से रहित होने की टिप्पणी अंकित नहीं थी। चयनित जनपदों में किसी भी हैसियत प्रमाणपत्र में सम्पत्ति के कहीं बन्धक न होने विषयक टिप्पणी अंकित नहीं थी। इस प्रकार, शासकीय हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2017) कि इस प्रकरण में उपयुक्त अनुशंसायें देने के लिए प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति गठित की जायेगी।

अनुशंसाः शासन को हैसियत प्रमाण–पत्र का स्वरूप बदलना चाहिये जिससे सम्पत्ति के सभी उन्मोचनों से रहित होने, पहले से बन्धक न होने एवं प्रमाण–पत्र जिस कार्य हेतु निर्गत किया जा रहा है, इसका उल्लेख अंकित किया जाये।

दृष्टान्त 7.1

प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक ठेकेदार[4] ने दो अनुबन्धों[5] के लिये दो वर्षो अर्थात 12.09.2014 तक वैध हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। यह पाया गया कि वही हैसियत प्रमाण–पत्र जो अवैध हो चुका था, तिथियों में हेरफेर करते हुये उसी ठेकेदार द्वारा 2015–16 के दो अनुबन्धों[6] हेतु प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त हैसियत प्रमाण–पत्र कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी को सत्यापन हेतु प्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, हैसियत प्रमाण–पत्र सत्यापित नहीं कराये जाने एवं संदिग्ध प्रमाण–पत्र स्वीकार करते हुये शासकीय हित सुरक्षित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी, मैनपुरी से पत्राचार किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

7.3.1.5 निविदादाताओं की बिड क्षमताः कार्यों के समय से पूर्ण किये जाने हेतु निविदादाताओं की बिड क्षमता का समुचित आकलन आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदादाताओं की बिड क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, अपात्र ठेकेदारों को भी अधिक लागत के अनुबन्ध सौंपे गये।

[3] मेसर्स बालेचा इन्जीनियरिंग लिमिटेड मुम्बई, मेसर्स अशोक कुमार छाबड़ा कम्पनी प्रा0 लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स आर सी सी डेवलपर्स, मेसर्स जी एस एक्सप्रेस प्रा0 लिमिटेड लखनऊ, मेसर्स सोबती इन्फ्राटेक लिमिटेड बरेली एवं एस एण्ड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स।

[4] सतीशचन्द्र।

[5] 18एसई/14–15 (₹ 92.62 लाख) एवं 19एसई/14–15 (₹ 1.84 करोड़)।

[6] 15एसई/15–16 (₹ 57.11 लाख) एवं 16एसई/15–16 (₹ 61.47 लाख)।

माडल बिड डाक्यूमेंट[77] में बिड क्षमता के मूल्यांकन का सूत्र दिया गया है जो निम्नवत् है:

आकलित बिड क्षमता = ए x एन x एम – बी, जहॉ ए का अर्थ है विगत पॉच वर्षो में से किसी एक वर्ष में सम्पादित कराया गया सर्वाधिक लागत सिविल कार्य, एन कार्य पूर्ण किये जाने हेतु लिये गये वर्षों की संख्या से सम्बंधित है (छः माह तक के कार्य हेतु 0.5 वर्ष एवं छः माह से अधिक अवधि तक के कार्य हेतु 1 वर्ष माना जायेगा), एम का मूल्य 2.5 है एवं बी निविदादाता के चालू कार्यो एवं वर्तमान प्रतिबद्धताओं का वर्तमान दर पर मूल्य है

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 263.37 करोड़ के 44 कार्यों में जिनकी कार्यावधि छः माह तक थी, एन का मान 0.5 के स्थान पर एक लिया गया था। अग्रेतर, वर्तमान में चालू कार्यों को नहीं घटाये जाने से निविदादाता की बिड क्षमता बढ़ गयी। 63 अन्य प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा बिड क्षमता विषयक सूचना उपलब्ध न कराये जाने के बाद भी ठेकेदारों को ₹ 535.30 करोड़ की लागत के कार्य आबंटित किये गये।

7.3.1.6 मशीनरी का साक्ष्यः माडल बिड डाक्यूमेंट की धारा 4.2(डी) के अनुसार सभी निविदादाताओं द्वारा निर्माण कार्य से सम्बंधित मुख्य उपकरणों के स्वामित्व का साक्ष्य दिया जाना आवश्यक था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1,056.56 करोड़ की लागत के कार्यो हेतु 58 निविदादाताओं द्वारा आवश्यक मशीनरी के स्वामित्व का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया था। 138 प्रकरणों में जिनकी लागत ₹ 1,244.51 करोड़ थी, मात्र शपथ–पत्र संलग्न किए गये, जबकि ₹ 95.34 करोड़ लागत के 21 कार्यों में निविदादाताओं द्वारा अन्य ठेकेदारों, उनके रिश्तेदारों आदि से सम्बंधित मशीनरी के इनवाइस संलग्न किये गये। अतः 217 प्रकरणों में कार्य सम्पादन हेतु महत्वपूर्ण मशीनरी/उपकरण का समुचित आकलन नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरीत अन्य ठेकेदारों के स्वामित्व वाली मशीनरी के इनवाइस को निविदादाता की पात्रता हेतु स्वीकार किये जाने से यह इंगित होता है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है।

7.3.1.7 तकनीकी स्टाफ का सेवायोजनः प्रत्येक निविदादाता द्वारा उपलब्ध तकनीकी स्टाफ को दर्शाये जाने का उल्लेख मॉडल बिडिंग डाक्यूमेंट के आईटीबी के परिशिष्ट में किया गया है। आईटीबी के अनुसार, तकनीकी कार्मिक के सेवायोजन को सुनिश्चित करने हेतु, ठेकेदारों को उक्त कार्मिक को वेतन/पारिश्रमिक के रूप में चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। लेखापरीक्षा में जॉचे गये 331 नमूना अनुबन्धों में से मात्र चार अनुबन्धों[88] में ठेकेदार द्वारा सेवायोजित तकनीकी कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक के रूप में चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान किये जाने के साक्ष्य निविदादाताओं द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार, चयनित जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं ने माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया, परिणामस्वरूप निविदादाताओं द्वारा गलत सूचना दी गयी। अग्रेतर, चयनित जनपदों के अनुबन्धों की जॉच में पाया गया कि एक ही समय

[7] धारा 4.6 आईटीबी।

[8] अनुबन्ध संख्या 32/एसई/12–13, निर्माण खण्ड–1 सिद्धार्थनगर; 19/एसई/12–13, प्रान्तीय खण्ड बदायूँ; 13/एसई/14–15, प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर; 25/एसई/12–13 प्रान्तीय खण्ड हरदोई; 65/एसई/11–12, 50/एसई/14–15, 04/एसई/16–17 एवं 03/एसई/16–17, प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर; एवं 29/एसई/13–14, प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर।

पर विभिन्न निविदादाताओं द्वारा समान/उसी तकनीकी स्टाफ का सेवायोजन दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में ₹ 637.96 करोड़ की लागत के 57 कार्यों में दो से पॉच निविदादाताओं के शपथ–पत्र में 40 तकनीकी स्टाफ सेवायोजित दर्शाये गये थे।

7.3.1.8 माडल बिडिंग डाक्यूमेंट में प्राविधानित है कि निविदादाता बैंक से (अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत) अन्य वित्तीय संसाधन सुविधा अथवा ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रमाणित साक्ष्य एवं स्वयं अनुबन्ध की लागत के 10 प्रतिशत मूल्य तक का निवेश किये जाने हेतु लिखित आश्वासन प्रस्तुत करेगा। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 569.41 करोड़ की लागत के कार्यों में 42 निविदादाताओं द्वारा बैंक के लिखित आश्वासन/क्रेडिट पत्र संलग्न नहीं किये गये थे। इसी प्रकार ₹ 604.48 करोड़ के कार्यों में 49 निविदादाताओं द्वारा स्वयं के निवेश वाले शपथ–पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। तथापि उनके बिडों में इन त्रुटियों के होते हुए भी उनकी साख सुनिश्चित किये बिना ही ठेकेदारों को योग्य घोषित किया गया।

7.3.1.9 वर्क प्रोग्रामः निविदादाताओं ने 171 अनुबंधों लागत ₹ 1,697.51 करोड़ के लिए मात्र बार चार्ट अनुबंध के साथ संलग्न किये गये थे जबकि, 63 निविदादाताओं द्वारा ₹ 801.62 करोड़ की लागत के अनुबंधों हेतु कार्यविधि एवं कार्यप्रणाली प्रपत्र संलग्न नहीं किये गए थे। अतः विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु उनकी योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया था ।

7.3.1.10 पंजीकरण/साझीनामा प्रपत्रः 166 अनुबंधों, जिसकी अनुबंधित लागत ₹ 3,517.47 करोड़ थी, के सापेक्ष 38 निविदादाताओं, जिन्हें ₹ 636.09 करोड़ मूल्य के कार्य सौंपे गए थे, के द्वारा पंजीकरण प्रमाण पात्र संलग्न नहीं किया गया था, 45 निविदादाताओं, जिनके कार्य की लागत ₹ 918.18 करोड़ थी, ने साझीनामा प्रपत्र संलग्न नहीं किया एवं 67 निविदादाताओं, जिनके कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 1,353.78 करोड़ थी, ने पॉवर ऑफ एटोर्नी प्रपत्रों को संलग्न नहीं किया था।

7.3.1.11 पंजीकरण एवं पैनः लेखापरीक्षा में पाया गया कि 331 अनुबंधों के सापेक्ष 270 प्रकरणों में (82 प्रतिशत), जिनकी अनुबंधित लागत ₹ 3,582.07 करोड़ थी, निविदादाताओं ने श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। 201 निविदादाताओं (61 प्रतिशत), जिनकी कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 2,307.17 करोड़ थी, के द्वारा व्यापार–कर अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। 25 निविदादाताओं, जिनके कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 188.83 करोड़ थी, के द्वारा टिन संलग्न नहीं किया गया था एवं 19 निविदादाताओं, जिनके कार्य की अनुबंधित लागत ₹ 258.98 करोड़ थी, के द्वारा पैन संलग्न नहीं किया गया था।

अत्यधिक मूल्य के बड़े अनुबंधों के तकनीकी मूल्यांकन में उपरोक्त प्रकार की कमियां यह दर्शाती थीं कि या तो, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुबंध गठन की जिम्मेदारी के निर्वहन में ढिलाई बरती है अथवा निविदादाताओं के साथ मिलीभगत कर आवश्यक महत्वपूर्ण अहर्ताओं की अनदेखी करते हुए उन्हें तकनीकी रूप से योग्य ठहराया गया।

शासन ने तकनीकी मूल्यांकन की कमी से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर उत्तर नहीं दिया।

7.3.2 ₹ 40 लाख तक के बिडों का तकनीकी मूल्यांकन

माडल बिड डॉक्यूमेंट के टी–1 में प्रावधानित है कि ₹ 10 एवं 40 लाख तक के मध्य की लागत के कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सूचनाओं को निविदादाताओं से उनके वित्तीय बिड के साथ प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 75.15 करोड़ की लागत के 230 अनुबंधों का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के खण्डों ने निविदाओं के साथ वांछित आधारभूत सूचनाओं के उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद निजी ठेकेदारों को योग्य ठहराकर अनुबंधों का गठन किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 7.2 में दर्शाया गया है:

सारणी 7.2 वर्ष 2011–16 की अवधि में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गए तकनीकी मूल्यांकन की स्थिति

क्र0 सं0	अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण/सत्यापन न करना	अनुबंधों की संख्या	कार्यों का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	टर्नओवर प्रमाण–पत्र	104	31.91
2	अनुभव प्रमाण–पत्र	89	27.00
3	उपकरणों के स्वामित्व का साक्ष्य	101	32.54
4	वित्तीय विवरण प्रपत्र	120	38.19
5	चरित्र प्रमाण–पत्र	230	75.15
6	हैसियत प्रमाण–पत्र	226	74.37
7	वर्तमान प्रतिबद्धताओं का प्रमाण–पत्र	125	39.82
8	बिड क्षमता	205	67.74
9	प्रस्तावित कार्य योजना	216	71.57
10	श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र	127	40.46
11	व्यापार कर अदेयता प्रमाण–पत्र	93	28.21

निविदा की शर्तों के अनुसार, तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए गए निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जानी थी। तथापि, उपरोक्त ठेकेदारों के द्वारा तकनीकी अर्हता के लिए आवश्यक प्रपत्रों को उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद योग्य ठहराया गया।

दृष्टान्त 7.2

निर्माण खंड, उन्नाव की लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन ठेकेदारों[9] द्वारा उनकी फर्म के इंजिनियर के रूप में कार्यरत हेतु शपथपत्र में मोहम्मद असलम मलिक को ही दर्शाया गया था। तीनों ठेकेदारों द्वारा उक्त इंजिनियर को वेतन भुगतान करने का दावा भी प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार, दो ठेकेदारों द्वारा त्रुटिपूर्ण शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त विसंगति को पकड़ने में अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता असफल रहे।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

[9] 1. मो0 उमर खान, 2. राम दयाल एवं 3. ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा।

7.4 बिल ऑफ क्वांटिटी पुनरीक्षित किये जाने के बावजूद पुनः निविदा आमंत्रित न किया जाना

331 नमूना जांच अनुबंधों में से 214 अनुबंधों (65 प्रतिशत) जिनकी अनुबंधित लागत ₹ 3,449.20 करोड़ थी, की जांच में पाया गया कि निविदाओं के खोले जाने के बाद बिल ऑफ क्वांटिटी को बढ़ाकर/घटाकर पुनरीक्षित किया गया था। इन प्रकरणों में नियमानुसार पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी, क्योंकि निविदाओं को खोले जाने के उपरांत नियम एवं शर्तों अथवा मात्रा में वृहद् परिवर्तन की अनुमति नहीं थी। परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, उक्त किसी भी प्रकरण में पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी तथा अनुबंधों का गठन मूल निविदा के आधार पर किया गया था ।

इस प्रकार, बिल ऑफ क्वांटिटी/कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किये जाने के बावजूद पुनः निविदा आमंत्रित किये बिना कार्यों को सौंपा जाना अनुचित था तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के चलते अन्य निविदादाताओं को अपनी निविदा प्रस्तुत करने का जो अवसर मिलना था, उससे उन्हें वंचित किया गया था।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

7.5 ठेकेदारों में सांठ–गाँठ

चयनित जनपदों के वर्ष 2011–16 की अवधि के अनुबंध विलेखों, अनुबंध पंजिकाओं एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनुबंधों का गठन निष्पक्ष एवं पारदर्शी रुप में नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में निविदादाताओं के मध्य सांठ–गाँठ के संकेत पाए गए जिससे पूर्ण निविदा प्रक्रिया अपारदर्शी रही तथा निष्पक्षता प्रतिस्पर्धा में अत्यंत कमी थी, जिसकी चर्चा निम्नवत की गयी है:

- जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, गोरखपुर द्वारा पाँच खण्डों के ₹ 600.90 करोड़ मूल्य के 482 अनुबंधों का गठन किया गया था। इनमें से 128 अनुबंधों (27 प्रतिशत) जिसकी लागत ₹ 101.70 करोड़ थी, में मात्र 2 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया था तथा इन समस्त 128 अनुबंधों के लिए दोनों निविदादाताओं ने समान दरें प्रस्तुत की थीं। दोनों निविदादाताओं से नेगोशिएशन किया गया परन्तु, नेगोशिएशन के उपरांत भी समान दरें प्राप्त हुईं। इन समस्त प्रकरणों में कार्य को दो भागों में बराबर बाँट कर दोनों निविदादाताओं से अनुबंध का गठन किया गया था। इन समस्त 128 प्रकरणों में मात्र दो निविदाएँ ही प्राप्त किया जाना विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने में अयोग्यता को दर्शाता है। अग्रेतर, निविदा प्राप्त करते समय तथा नेगोशिएशन के उपरांत भी 27 प्रतिशत कार्यों हेतु समान दरें प्राप्त होना सांठ–गाँठ का सूचक था जिसके जॉच की आवश्यकता है।

- इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, बस्ती द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में 31 कार्यों हेतु ₹ 22.41 करोड़ मूल्य की अनुबंधित लागत के 62 अनुबंधों का गठन, कार्यों को टुकड़ों में बांटकर किया गया था। इन प्रकरणों में भी निविदा के समय एवं नेगोशिएशन के उपरांत भी दोनों निविदादाताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की गयी थीं।

- प्रान्तीय खंड, उन्नाव के वर्ष 2011–16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री कुलदीप सिंह एवं श्री रामदयाल के साथ क्रमशः 18 एवं 20 अनुबंधों का गठन किया गया था जिनकी अनुबंधित लागत क्रमशः

₹ 5.44 करोड[10] एवं ₹ 4.02 करोड़[11] थी। जॉच में पाया गया कि वर्ष 2011–16 अवधि की इन समस्त 38 बिडों हेतु मात्र उक्त दो निविदादाताओं की बिड ही प्राप्त हुई थीं। बिडों में अनुमानित लागत की दरों से 0.10 प्रतिशत कम से लेकर 12 प्रतिशत अधिक तक दरें प्रस्तुत की गयी थीं। यहॉ पर उल्लेखनीय है कि 12 प्रकरणों में अनुमानित लागत से 0.10 प्रतिशत कम दरों पर इन दोनों निविदादाताओं से अनुबंध का गठन किया गया था। इससे स्पष्ट था कि उक्त दोनों निविदादाताओं द्वारा सांठ–गाँठ कर बिडों को पूर्व निर्धारित तरीके से डाला जा रहा था जिससे बिडिंग की प्रक्रिया दरकिनार कर बिड उनके पक्ष में रहे।

- इसी प्रकार, यह भी देखा गया कि सात जनपदों[12] के 22 अनुबंधों जिनकी अनुबंधित लागत ₹ 155.50 करोड़ थी, में एक कार्य के लिए फर्म के समस्त निविदादाता एक दूसरे के पार्टनर के रूप में थे जो अन्य फर्म में भी पार्टनर थे ***(परिशिष्ट 7.3)***।

- निर्माण खंड, मैनपुरी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में 12 कार्यों हेतु जिनकी कुल लागत ₹ 31.35 लाख थी, दो ठेकेदारों गिरीश चन्द्र पाण्डेय एवं भीखम सिंह द्वारा ही निविदाएँ क्रय की गयीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 12 प्रकरणों में से 9 प्रकरणों हेतु गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अनुमानित लागत से 0.01 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत कम दरों पर तथा तीन प्रकरणों में समतुल्य दरें दी गयीं एवं समस्त 12 अनुबंध गिरीश चन्द्र पाण्डेय को प्रदान किये गए। यह असामान्य परिस्थिति सांठ–गाँठ का सूचक था जिसका जॉच किया जाना आवश्यक है।

- अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड, बस्ती द्वारा 33 कार्यों जिनकी लागत ₹ 7.39 करोड़ थी, हेतु निविदा अगस्त 2012 में आमंत्रित की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त समस्त 33 कार्यों हेतु मात्र एक ही बिड प्राप्त हुई तथा पुनः निविदा आमंत्रित न कर एकल निविदादाताओं के साथ अनुबंध का गठन किया गया था। एक निविदा जिसकी दर अनुमानित लागत की दरों के समतुल्य थी, को छोड़कर सभी निविदाओं में अनुमानित लागत की दरों से 0.01 प्रतिशत से 1.11 प्रतिशत तक कम पर दरें प्रस्तुत की गयी थीं। अग्रेतर, आठ निविदादाताओं ने निर्धारित दर से 0.01 प्रतिशत तक कम बिड किया तथा 12 निविदादाताओं ने 0.10 प्रतिशत तक कम बिड किया था। यह भी पाया गया कि उक्त समस्त प्रकरणों में किसी भी निविदादाता ने एक से अधिक कार्य हेतु अपनी दरें नहीं डाली थीं। यह समस्त परिस्थितियां निविदा प्रक्रिया के अपारदर्शी होने की सूचक थी एवं इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त न कर समस्त निविदादाताओं को समायोजित करने के उद्देश्य से कार्य प्रदान किये गए थे। इन प्रकरणों के जॉच की आवश्यकता है।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

7.6 ई–निविदा

शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक करोड़ से अधिक मूल्य के कार्यों हेतु ई–निविदाओं के माध्यम से निविदाएँ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया (अगस्त 2014)। चयनित जनपदों की नमूना लेखापरीक्षा में ई–निविदा प्रक्रिया में निम्न अनियमिततायें पाई गयीं:

[10] अनुबंध संख्या 19,26,50,80,102,103 / ईई / 15–16; 50,51,53,54,60,63,65,68,74,75,76,77 / ईई / 14–15
[11] अनुबंध संख्या 18,24,25,77,78,79 / ईई / 15–16; 30,52,55,59,61,64,66,67,70,71,72,73,83,105 / ईई / 14–15
[12] बदायूँ, सम्भल, आगरा, मैनपुरी, झॉसी, सहारनपुर एवं बस्ती।

- अगस्त 2014 से मार्च 2016 के मध्य ई–निविदा सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 124 अनुबंधों की निविदा आमंत्रण की नमूना जांच के सापेक्ष 18 प्रकरणों (15 प्रतिशत) में एकल बिड प्राप्त हुयी थीं जबकि, 75 प्रकरणों (60 प्रतिशत) हेतु दो बिड प्राप्त हुयीं थीं। मात्र 31 प्रकरणों में तीन या अधिक बिड प्राप्त हुयी थीं।

इस प्रकार, 75 प्रतिशत प्रकरणों के निविदा आमंत्रण में मात्र एक अथवा दो बिड प्राप्त हुयीं थीं जो निविदा प्रक्रिया के पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक न होने को दर्शा रहीं थी।

- निर्माण खंड–1, मुरादाबाद के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक निविदा सारांश रिपोर्ट उत्पन्न हो रही थी जिसमें समस्त निविदादाताओं द्वारा अपलोड की गयी बिडों का विवरण अंकित था। प्राप्त कुल बिडों की संख्या एवं तकनीकी रूप से योग्य पाई गयीं बिडों की संख्या के विश्लेषण से कुल कितने बिड तकनीकी रूप से असफल थे तथा इनके असफल होने के कारणों जैसे बिड सिक्यूरिटी साक्ष्य अथवा बिड डॉक्यूमेंट न जमा करना, का ज्ञात होना संभव था। यद्यपि, यह रिपोर्ट अन्य किसी जनपद में उपलब्ध नहीं था। अतः मूल रूप से कुल प्राप्त बिड तथा तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह बिडों की संख्या का विशलेषण नहीं किया जा सका था। लोक निर्माण विभाग की ई–निविदा पद्धति के प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन से उक्त रिपोर्ट समाप्त किए जाने एवं उसके कारण, लेखापरीक्षा द्वारा पूछा गया (सितम्बर 2016) जिसका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था।

- एक करोड़ से अधिक मूल्य की लागत के कार्यों हेतु ई–निविदा अपनाये जाने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि विभाग ने पारदर्शिता को सीमित करते हुए जमानत धनराशि, हैसियत, आदि प्रपत्रों का सत्यापन केवल एक स्थान मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में मैनुअल पद्धति अपनाकर किया जा रहा था। इस प्रकार, ई–निविदा के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया।

- समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं स्वायत्त/विधिक इकाइयों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आदि द्वारा वस्तुओं के क्रय, सेवाओं एवं कार्यों के अनुबंध के लिए न्यूनतम निविदा मूल्य सीमा ₹ 10 लाख निर्धारित थी जिसे अप्रैल 2015 में घटाकर ₹ 5 लाख एवं पुनः घटाकर अप्रैल 2016 में ₹ 2 लाख कर दिया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में ई–निविदा हेतु न्यूनतम सीमा ₹ 1 करोड़ थी जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तुलना में अत्यंत अधिक थी।

राज्य सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2017) कि दिनांक 31–03–2017 के शासनादेश के द्वारा आदेश पूर्व में ही निर्गत किए जा चुके है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि ई–निविदा की विस्तृत प्रक्रियाँ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत तैयार की जा रही है तदुपरान्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

अनुशंसाएँ:

- ***शासन द्वारा ई–निविदा की सीमा को पुनरीक्षित कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरूप किया जाना चाहिये; तथा***

- ***शासन द्वारा बिड सिक्यूरिटी की मूल प्रति के सत्यापन हेतु विभिन्न स्थानों जैसे मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में प्राप्त कराये जाने का प्रावधान करना चाहिये।***